न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./59/2025/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. बाबूराम पुत्र सवाराम के का. मु.–	1. सवाराम पुत्र मगाराम, उम्र 65 वर्ष
1/1. माता मोहरों पत्नी सवाराम, उम्र 63 वर्ष	2. प्रागाराम पुत्र मगाराम, उम्र 67 वर्ष
2. अर्जुनराम पुत्र सवाराम, उम्र 31 वर्ष	3. होतीराम पुत्र रूगनाथाराम के का.मु.–
3. गंगाराम पुत्र सवाराम, उम्र 29 वर्ष	3/1. पदमाराम पुत्र होतीराम, उम्र 68 वर्ष
4. सुनिता पुत्री सवाराम, उम्र 31 वर्ष	3/2. मानाराम पुत्र होतीराम, उम्र 66 वर्ष
5. भंवरी पुत्री सवाराम, उम्र 28 वर्ष	3/3. कूम्पाराम पुत्र होतीराम, उम्र 63 वर्ष
6. कमला पुत्री सवाराम, उम्र 25 वर्ष	3/4. महादेवाराम पुत्र होतीराम, उम्र 69 वर्ष
7. श्रीमती मोहरों पत्नी सवाराम, उम्र 63 वर्ष	3/5. मरेमों पत्नी होतीराम, उम्र 87 वर्ष, जाति राईका, निवासीयान धांधलावास, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर
8. तोगाराम पुत्र प्रागाराम, उम्र 27 वर्ष	4. मानसिंह पुत्र अणदसिंह, उम्र 47 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी धांधलावास, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।
9. ठाकराराम पुत्र प्रागाराम, उम्र 25 वर्ष	5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, गुड़ामालानी, ज़िला बाड़मेर।
10. अनिया पुत्री प्रागाराम, उम्र 32 वर्ष	
11. भवराराम पुत्र प्रागाराम, उम्र 23 वर्ष	
12. श्रीमती रतनी पत्नी प्रागाराम, उम्र 67 वर्ष	
13. केसाराम पुत्र मगाराम के वारिसान–	
13/1. भैराराम पुत्र केसाराम, उम्र 31 वर्ष	
13/2. मीरो देवी पत्नी केसाराम, उम्र 60 वर्ष, जाति राईका, निवासीयान धांधलावास, तहसील गुड़ामालानी, जिला बाड़मेर।	

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2014 (पुराने वाद संख्या 58/2004) बउनवान बाबुराम वगैरह बनाम सवाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री अमृतलाल जैन उतरदाता संख्या 04 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

—:निर्णय:—

दिनांकः—26.09.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स /वादीगंण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा धांधलावास, पटवार हल्का नगर, तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 116 रकबा 47—15 बीघा, खसरा संख्या 115 रकबा 01—15 बीघा; खसरा संख्या 117 रकबा 14 बिस्वा कुल रकबा 48—10 बीघा भूमि आई हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज रूगनाथ पुत्र चुतरा के समय की खातेदारी रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1956 से शासित होते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने पूर्वज रूगनाथ के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक—हिस्सा निहित होने के कारण खातेदारी अधिकार रखते हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का लगातार कब्जा—काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी जो पैतृक सहखातेदारी की आराजी थी को प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में विधिक बंटवारा करवाये बिना ही बेचान कर दिया है जो विधिक नहीं है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का जन्म से हक—हिस्सा निहित होंने व कब्जा—काश्त होने से वादीगण घोषणा के अधिकारी हैं। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिं द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आपत्ति पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे अपीलांट के हितों पर कुठारघात हुआ है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया अपीलांट्स /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा धांधलावास, पटवार हल्का नगर, तहसील गुड़ामालानी के खसरा संख्या 116 रकबा 47—15 बीघा, खसरा संख्या 115 रकबा 01—15 बीघा, खसरा संख्या 117 रकबा 14 बिस्वा कुल रकबा 48—10 बीघा भूमि आई हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्वज रूगनाथ पुत्र चुतरा के समय की खातेदारी रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हिन्दू होने के कारण हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम 1956 से शासित होते हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने पूर्वज रूगनाथ के वारिस होने के कारण अपने पिता के साथ सहदायिकी तथा संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने के कारण उक्त आराजी में जन्म से ही हक—हिस्सा निहित होने के कारण खातेदारी अधिकार रखते हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का लगातार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कब्जा–काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी जो पैतृक सहखातेदारी की आराजी थी को प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में विधिक बंटवारा करवाये बिना ही बेचान कर दिया है जो विधिक नहीं है। वादग्रस्त आराजी में वादीगण का जन्म से हक–हिस्सा निहित होने व कब्जा–काश्त होने से वादीगण घोषणा के अधिकारी हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट्स जन्म से अविभक्त हिस्सा उत्पन्न हो गया है। एक सहदायिक का कब्जा सभी सहदायिक का कब्जा है। हस्तगत प्रकरण की आराजी के संबंध में मिसल बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 का पेंश किया जो प्रदर्श ई एक्स 01 है जिसमें हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी रूगनाथ पुत्र चुतराराम, कौम राईका, निवासी धांधलावास दर्ज है। वादीगण/अपीलांट्स के पूर्वज रूगनाथ का स्वर्गवास होने पर उसके दो पुत्र मगाराम व होतीराम वारिस बने। मगाराम का स्वर्गवास होने पर उसके तीन पुत्र केसाराम, प्रागाराम व सवाराम बने। रेस्पों. संख्या 1 सवाराम के तीन पुत्र बाबुराम (फौत), अर्जुनराम, गंगाराम व तीन पुत्रियां सुनिता, भंवरी व कमला तथा पत्नी मोहरोदवी विधिक वारिस बने। विधिक वारिस होने से अपीलांट्स अपने हिस्से अनुसार खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी हैं। रेस्पों. संख्या 1 व 2 ने 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि का बेचान रेस्पों. संख्या 4 मानसिंह को कर दिया है। जबकि विधिक हिस्से अनुसार उन दोनों को 03 बीघा 04 बिस्वा भूमि बेचान का अधिकार था। अपने अधिकार से परे जाकर पैतृक आराजी जिस पर समस्त विधिक वारिसान का हक–अधिकार जन्म से ही था का बेचान रेस्पों. संख्या 1 व 2 द्वारा किया गया है जो विधि के सिद्धान्तों से परे है। उक्त बेचान से अपीलांट के हितों पर कुठारघात हुआ है। विधिक अधिकार से अधिक बेचान विधिं अनुसार शून्य एवं निष्प्रभावी माना जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट संख्या 4 से 6 और वादी संख्या 10 जो सवाराम व प्रागाराम की पुत्रियां है जिन्हे दिनांक 09.09.2005 को पौत्री होने के नाते पैतृक भूमि में हक मांगने का वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। जबकि रेस्पों. संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 मानसिंह को बेचान दिनांक 19.06.2003 को करने के कारण उक्त बेचान को चुनौती देने का अधिकार पुत्रियों को नहीं है। क्योंकि उपरोक्त बेचान संशोधन दिनांक 09.09.2005 से पूर्व का है। धारा 06 हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 में दिनांक 20.12.2004 से पूर्व किये गये हस्तांतरण को चुनौती नहीं दी जाने के संबंध में छूट प्रदान की हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पों. संख्या 1 से 3 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे है। वकील अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये –

1- 2013(1)CCC- 033 (AP)
2- 1965 RRD (DB) 176
3- 2025(1)DNJ (Raj.)214
4- 2018 DNJ (SC) 221
5- 2019(1)RRT 291
6- 2018 DNJ (SC) 826
7- 2012(4)RLW 3050
8- A 1971(SC) 776

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

9- A 1979(Raj.) 173

10- 2021(10RRT(Raj.)143

11- A 2018(Raj.) 27

12- 2019(2)RRT (SC)997

13- 2021(2)RRT 1310

14- 2008 (2)RRT (DB)879

हस्तगत प्रकरण में हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित अधिनियम की धारा 6 के स्पष्टीकरण 01 के अनुसार हिन्दू मिताक्षरा सहदायिक का हित सम्पति का वह अंश माना जायेगा जो उसे विभाजन में मिलता अगर सम्पति का विभाजन मृत्यु से ठीक पहले होता है। मृत सहदायिक का हित मृत्यु की तिथी को सम्पति के विभाजन से ज्ञात किया जायेगा। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय उक्त समस्त विधिक तथ्यों पर गौर नहीं किया है। प्रश्नगत बेचान से रेस्पों. संख्या 01 से 02 को प्रतिफल प्राप्त हुआ है। अपीलांट अपनी पैतृक सहदायकी आंराजी जिसमें जन्म से अधिकार है का खातेदारी घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि के तथ्यों से परे जाकर पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत प्रकरण को अनेकों बार प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के साक्ष्य में रखा गया। जिस पर प्रतिवादी/अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण से प्रतिवादी/अपीलांट की साक्ष्य बंद की जाकर विधि अनुसार वर्णन करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जहां तक पैतृक संपति का प्रश्न है उसके संबंध में निवेदन है कि प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उत्तराधिकारियों में सम्पति निहित होना एवं मौके पर भौतिक रूप से प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में भूमि विभाजित होने के पश्चात् उस सम्पति को पैतृक सम्पति नहीं माना जा सकता है। अपीलांट्स/प्रार्थीगण के अनुसार उनके कथित अविभक्त हिन्दू परिवार में विधि अनुसार सवा और प्रागा के पुत्रों को सहदायिकी बताकर उनका अव्यस्क होना कथित करते हुए प्राकृतिक संरक्षिका के रूप में उनकी माताओं श्रीमती मोहनों एवं श्रीमती रतनी के द्वारा वाद सन् 2004 में प्रस्तुत किया गया, जबकि इसी प्रकरण में वादीगण की ओर से सन् 2017 में संशोधित वाद प्रस्तुत किया गया तथा तत्समय प्रागा एवं सवा के सभी उत्तराधिकारी वयस्क थे। उनके वयस्क होने के पश्चात् अव्यस्क के प्राकृतिक संरक्षिका का कोई अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन किसी भी कथित सहदायिक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने वाद की पुष्टि नहीं की ऐसी स्थिति में अपीलार्थी संख्या 1 से 3 एवं 8 से 9 एवं 11 का वादग्रस्त भूमि में सहदायिक का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा न ही स्त्री को संयुक्त परिवार की कर्ता माना जा सकता है। अतः अपीलांट के उक्त पैतृक सहदायिक कथन के उज्र का इस स्तर पर कोई सार नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पों. द्वारा अपने उक्त कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया –

1- AIR 1981 RAJ 16
2- AIR 1981 MP 250
3- AIR 1986 ORISSA 119
4- AIR 2010 ORISSA 13
5- 2016(4)SCC 68
6- 2009 SUPREME (Del) 1232
7- (2020) 14 SCC 436
8- AIR 1986 SC 1986
9- AIR 2007 SC 1808
10- AIR 1987 SC 558
11- 2021(19)SCC 263
12- (2020) 14 SCC 436
13- AIR 1980 SC 1173

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। वकील उभयपक्ष द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। वकील रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत प्रति आपत्ति (Cross Objection) का अवलोकन किया गया। उक्तानुसार अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही पारित की गई प्रतीत होती है। वकील अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत विधिक तथ्य एवं साक्ष्य, सबूतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधिक तथ्यों की घोर अवहेलना का द्योतक है। अपीलाधीन निर्णय हाजा न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। वकील रेस्पों. द्वारा पत्रावली में प्रति आपत्ति (Cross Objection) पेश कर विवाद्यक संख्या 1 को विधि विरूद्ध निर्णीत होना बताया, उक्त के संबंध में हाजा न्यायालय का यह विनम्र मत है कि प्रति आपत्ति (Cross Objection) के तथ्यों की विधि अनुसार चाराजोही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष करें। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 40 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 75/2014

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी

(पुराने वाद संख्या 58/2004) बउनवान बाबुराम वगैरह बनाम सवाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों की उपस्थिति में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

26/9/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर